

स्पीड-पोस्ट

राजस्थान-सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स.3(2)(04)स्था/स.अ.अधि./अभि./16/ 9004-19

दिनांक:- 02-06-2017

प्रेषित:-

- 01-सुश्री प्रीति गोयल-40
- 02-माधव सिंह राठौड-45
- 03-लेघा दीपक रणजीत-56
- 04-भोम सिंह चौहान-103
- 05-कविता-114
- 06-राजू सिंह-130
- 07-हंसराज खटीक-147
- 08-विकास चौधरी-187
- 09-रोशन कुमार कोटिया-193
- 10-वेद प्रकाश मीणा-224
- 11-विक्रम मीणा-226
- 12-संदीप सोटवाल-227
- 13-बाबूलाल मीणा-245
- 14-सुनिता कुमारी मीणा-278

विषय:-सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण नहीं करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक नियुक्ति आदेश क्रमांक 7908-8271 दिनांक 18.05.2017 के द्वारा आपको नियुक्ति प्रदान की जाकर समसंख्यक आदेश क्रमांक 8308-8668 दिनांक 23.05.2017 के द्वारा पदस्थापन आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेशों की पालना में आपको दिनांक 26.05.2017 तक पदभार ग्रहण करना था। आपके द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 286-88 दिनांक 29.05.2017 के द्वारा दिनांक 31.05.2017 तक पदभार ग्रहण करने हेतु एक और अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन आप द्वारा आज दिनांक 02.06.2017 तक सम्बन्धित कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है ना ही सन्दर्भित को कोई सूचना ही प्रेषित की है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आप इच्छुक है तो दिनांक 08.06.2017 तक सम्बन्धित कार्यालय में आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, अन्यथा आगे कोई अवसर दिए बिना विभाग द्वारा आपका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

विभागीय वेबसाइट का अवलोकन करें, इस सम्बन्ध में भविष्य में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।

216/26/17
(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1-सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन।

2-सम्बन्धित सहायक अभियोजन अधिकारी को जरिये स्पीड-पोस्ट स्थाई पते पर।

3-रक्षित पत्रावली।

226/26/17
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर